बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संचिका सं०–17/विविध–01–269/2026– **पटना, दिनांक– / /2026**

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–755(17), दिनांक–03.07.2026 द्वारा संविदा के आधार पर प्राध्यापकों एवं सह–प्राध्यापकों को नियोजित करते हुए राज्य के विभिन्न राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थापित किया गया है। कुछ चिकित्सक शिक्षकों द्वारा अबतक अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान नहीं किया गया है एवं उनके द्वारा योगदान हेतु अवधि विस्तार करने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या–755(17), दिनांक–03.07.2026 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित एवं पदस्थापित प्राध्यापकों एवं सह–प्राध्यापकों को अपने पदस्थापित संस्थान में योगदान करने की अंतिम तिथि को दिनांक–31.10.2026 तक अंतिम रूप से विस्तारित किया जाता है। उक्त तिथि के बाद अवधि विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–17/विविध–01–269/2026-1408(17) **पटना, दिनांक–** 22/10/**2026**

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार ,पटना/प्रभारी पदाधिकारी ,वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि योगदान की निर्धारित अंतिम तिथि के अन्दर योगदान करने वाले चिकित्सक शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–
संयुक्त सचिव।